# अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय
## पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

11/4/25

कार्यालय आ0 सं0–निग / सारा–4(पथ)आरोप–40 / 20217(अंश) पटना, दिनांक :–

**कार्यालय आदेश** - 61

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के निदेशानुसार OPRMC अन्तर्गत संधारित पथों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु विभागीय पत्रांक–5033 (एस) अनु0 दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–15.06.2017 से दिनांक–22.06.2017 के बीच संबंधित पथों का स्वतंत्र निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत् विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ / अनियमितता पाई गई :–

(i) पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत OPRMC के तहत् पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत पैकेज संख्या–27 के अन्तर्गत शामिल पथों, जिसकी सूची निम्नवत् है :–

सुपौल सिंघेश्वर रोड, पुनिया–सहरसा रोड, रा0उ0प0–106 से रा0उ0प0–107 पश्चिमी बाईपास रोड, कर्पूरी चौक से पतर घाट रोड, मुरलीगंज बभनगांवा बिहारीगंज रोड, किशुनगंज–बिहारीगंज रोड, कर्मा–आलमनगर रोड, आलमनगर–बुद्धमा माली चौक रोड, किशनगंज चौसा रोड, चौसा लौआलवान विजयघाट रोड, गोवालपाड़ा–अतलख रोड, खुरहान परेल रतवाड़ा रोड का रख–रखाव / संधारण अन्य पथ प्रमंडलों की तुलना में सबसे खराब स्थिति में पायी गयी है।

**2.** वर्णित पायी गयी उक्त त्रुटियों के संबंध में विभागीय पत्रांक–8871 (एस) अनु० दिनांक–10.10.2017 द्वारा **श्री राजा बाबू,** तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री बाबू के पत्रांक–शून्य दिनांक–02.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसको विभागीय समीक्षा में स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

**3.** तद्‌लोक में श्री राजा बाबू, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–6517 (ई०) अनु० दिनांक–03.11.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 (ग) के तहत स्पष्टीकरण पुछा गया। स्पष्टीकरण उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–1614 (एस) अनु० दिनांक–02.04.2024 के द्वारा स्मारित किया गया। तत्पश्चात इनके पत्रांक–शून्य दिनांक–12.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

**4.** श्री बाबू द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) इसी मामले में समरूप आरोपों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के

कृ०पृ०उ०

आईटी सेल 


तहत गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया था। जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि चूंकि Service Level में पाये गये Non-Compliance के लिए वांछित कटौतियाँ किये जाने की पुष्टि संचालन पदाधिकारी के द्वारा अभिलेखों के आधार पर की गयी है, साथ ही गठित आरोप की प्रकृति, गुणवत्ता/विशिष्टियों से संबंधित न होकर भौतिक सत्यापन पर आधारित है। जिस कारण संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने की युक्तिसंगत आधार नहीं है। तद्नुसार, सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–5395 (एस) दिनांक–05.09.2023 द्वारा श्री नौशाद आलम, कार्यपालक अभियंता को आरोप मुक्त किया गया।

(ii) इसी मामले में समरूप आरोपों के लिए एक अन्य आरोपी अभियंता **श्री सत्येश्वर मांझी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल उदाकिशुनगंज, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप गठित कर स्पष्टीकरण पुछा गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि समरूप आरोपों के लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम को आरोप मुक्त किया जा चूका है, इसी आधार पर इनके स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1172 (एस) दिनांक–04.03.2024 द्वारा श्री मांझी को आरोप मुक्त किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि "चूंकि इसी मामले में ही समरूप आरोपों के लिए संबंधित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम एवं तत्कालीन सहायक अभियंता श्री सत्येश्वर मांझी को पूर्व में आरोप मुक्त किया जा चुका है।" इसलिए उक्त आधार पर आरोपी **श्री राजा बाबू**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

ह०/–
**अभियंता प्रमुख (मु०),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

**ज्ञापांक :–** निग/सारा–4(पथ) आरोप–40/2017 (अंश) 2256(E) **पटना, दिनांक** 11/4/25

**प्रतिलिपि :–** अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, सीमाचंल, पथ निर्माण विभाग, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14 एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री राजा बाबू, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत** <u>पत्राचार का पता</u> **– एम०आई०जी०बी०–19, सेक्टनर – 03, हॉउसिंग बोर्ड, बरारी, थाना–बरारी, जिला–भागलपुर, पिन–812003** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–
**अभियंता प्रमुख (मु०),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः— निग/सारा–4(पथ) आरोप–40/2017 (अंश) 2256(E) पटना, दिनांक 11/4/25

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

8/4/2025

अभियंता प्रमुख (मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

08.04.25